न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- ~~18~~ 17/2019 तारीखरजू:- 21.10.19

उनवानः– मुरारी बनाम शिवदयाल वगै०

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर. टी. एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
21.10.19	वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 08.11.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
8.11.19	अवकाश घोषित
9.11.19 10.11.19	राजपत्रित अवकाश
11.11.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न. 3 बावजूद सूचना उप० नही है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण 1, 2 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने दिनांक 3.12.19 को पेश हो।
3.12.19	वकील उभय पक्ष उपस्थित। जवाब पेश करने समय चाहा। आगामी सुनवाई तिथी पर जवाब पेश करने की हिदायत का एक मौका दिया जाता है। जवाब पेश करने दिनांक 23.12.19 को पेश हो।
23.12.19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। जवाब पेश किया। शामिल हो। एक प्रति जवाब की वकील प्रार्थी को दिलवाई। वास्ते बहस दिनाँक 10.1.20 को पेश हो। पुनश्च: वकील अप्रार्थी का कथन रहा है कि प्रार्थी खातेदार नही है एवं सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जो कानूनी बिन्दु है अतः कानूनी बिन्दु पर बहस हेतु दिनाँक 10.1.20 को पेश हो।
10.1.20	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी करौली मीटिंग में पधारे है। अतः पत्रावली यथावत दिनांक 16.1.20 को पेश हो।

5166
5164-66
22/10/19

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क[...]

दिनांक	फर्द अहकाम
16.1.20	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मुख्यालय ड्यूटी मे पदाति है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 29.1.20 को पेश हो।
29.1.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पेश किया। शामिल किया इस प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई। दरख्वास्त का जबाव पेश करने दिनांक 13.2.20 को पेश हो।
13.2.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 07 R.11 का जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी वकील ने एतराज दर्ज कराया। सुना गया। प्रार्थी वकील ने आगामी सुनवाई तिथी पर द० का जबाव पेश करने व बहस करने का कथन किया। वास्ते द० का जबाव पेश करने व बहस करने दिनांक 12.3.20 को पेश हो।
12.3.20	वकील उभयपक्ष एवं प्रार्थी मुरारी लाल उपस्थित। कथन किया कि नया मुकदमा पेश करना चाहता हूं। नया मुकदमा पेश करने की इजाजत देते हुए इस प्रार्थना पत्र को वापिस कर दिया जावे। वादी वकील ने भी पहचान कर तसदीक दर्ज कराई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील को सुनकर नया मुकदमा पेश करने की इजाजत देते हुए प्रार्थना पत्र विड्रो करने की स्वीकृति दी जाती है तथा मुकदमा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार टोकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (margin: अपील लेरहे हैं / Identified / [illegible]) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:50:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: